



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : प्रशि./एम-133/2025/54 दिनांक 5/2/25

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग ने पत्र क्रमांक : प 24 (3) चिस्वा/ गुप-3/2025/05334 दिनांक 25.01.2025 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एकलपीठ याचिका संख्या 20973/2024 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.12.2024 की पालना में उक्त रिट याचिका के निर्णयाधीन श्री विनायक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एण्ड नर्सिंग ऐजुकेशन, जयपुर को जीएनएम शैक्षणिक सत्र 2024-25 की काउंसलिंग में अस्थाई रूप से 60 सीट पर छात्र आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त संस्थान में छात्रों का प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।


(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज., जयपुर।
दिनांक 5/2/25

- क्रमांक : प्रशि./एम-133/2025/54
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प 24 (3) चिस्वा/ गुप-3/2025/05334 दिनांक 25.01.2025 के क्रम में।
 2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
 3. जैनिथ आई.टी. एण्ड इन्फ्रा सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (राज0) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
 4. प्रधानाचार्य, सम्बन्धित संस्थान को सूचनार्थ।
 5. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में अपलोड करने का श्रम करें।
 6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर